# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

## पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/23

उनवान

सुरेश शर्मा उर्फ श्यामसुन्दर आत्जम स्व0 मुकुट बिहारी आयु 66 वर्ष निवासी दौलतपुरा हाल निवास 46– बी सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा राज0

( अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा

( रेस्पोडेन्ट )

उपस्थित :– अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी पारेता ,(अपीलान्ट)
सरकार पैरोकार – रेस्पोडेन्ट

## अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्व निणय दिनांक 01.10.2024 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा

निर्णय दिनांकः– 19/3/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की दादी हरकीबाई बेवा गोपीलाथ जाति ब्राहांण निवासी साकिन पीपल्दा कलां के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा,खसरा नम्बर 115 की 30 बीधा 19 बिस्वा,खसरा नम्बर 129 की 4 बीधा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 की 3 बीधा 6 बिस्वा,खसरा नम्बर 199 की 34 बीधा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 231 की 3 बीधा 9 बिस्वा,खसरा नम्बर 219/268 की 19 बिस्वा कुल 7 किता 80 बीधा 8 बिस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जमांबन्दी सम्वत् 2030 से 33 के अनुसार।

उक्त आराजी पर पूर्व में अपीलान्ट की दादी हरकीबाई तत्पश्चात अपीलान्ट के पिता मुकुट बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पश्चात अपीलान्ट उक्त आराजी बतौर मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पर दिनांक 14.09.1993 को

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय जिला कलेक्टर सीलिंग कोटा द्वारा निर्णय पारित किया गया,जिसके विरूद्व अपीलान्ट की दादी हरकीबाई वगै0 बनाम सरकार वगै0 केस नम्बर 154/93 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर में अपील प्रस्तुत की गई,जिसमें दिनांक 29.9.1993 को स्थगन आदेश जारी करते हुए उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 64 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान नये खसरा नम्बर 565 रकबा 0.51 है0 के संबध में विवादित भूमि के अधिग्रहण के आदेश की कियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया गया,उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त आदेश को अपील संख्या 5286/2007 बउनवान मुकुटबिहारी बनाम सरकार में दिनांक 2.11.2007 मे कोड करते हुए विवादित भूमि के संबध में आगामी आदेश तक विवादित आराजी की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पीपल्दा को है क्योकी प्रत्येक अपील व कार्यवाही में तहसीलदार पक्षकार है। निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि,न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है कारण कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही जल्दबाजी में उक्त आदेश जैर अपील पारित करने में भारी भूल की है।

अपीलान्ट के पक्ष में उक्त आराजी के संबध में स्थगन आदेश होने एवं काबिज काश्त होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 0.64 है0 भूमि पर अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर 1024/—रू0 के आर्थिक दण्ड एवं बेदखली का आदेश पारित करने के कारण यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपीलान्ट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी,सर्वप्रथम अपीलान्ट से पटवारी हलका द्वारा उक्त रकम का तकाजा करने पर दिनांक 8.01.2025 को हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा तहसील से नकल प्राप्त कि गई। निर्णय की जानकारी की तिथी 20.1.2025 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेट सरकार की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के प्रार्थना पत्र के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.10.2024 के विरूद्व दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी प्रथम बार पटवारी हलका से होना जाहिर किया गया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही जल्दबाजी में उक्त आदेश जैर अपील पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट के पक्ष में उक्त आराजी के संबध में स्थगन आदेश होने एवं काबिज काश्त होने के बावजूद

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 0.64 है0 भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर 1024/—रू0 के आर्थिक दण्ड एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेंर में विचाराधीन होना अवगत करवाते हुए विवादित आराजी के संबध में जारी निर्णय एवं न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश की गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किऐ।

1— आर.आर.डी. 1994 पेज नं.500

सरकार पैराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार मुताबिक राजस्व रेकार्ड की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात के संबध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा प्रकरण संख्या 5386/07 मुकट बिहारी बनाम सरकार में 14.06.2007 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जो आज भी प्रभावी इसकी पुष्टि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति से होती है। अतः न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात् के संबध में निर्णय पारित करते समय पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 1.10.2024 अपास्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पीपल्दा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधिसम्वत् निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19/3/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा